

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कुतुब गोल्फ कोर्स
प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली – 110017

फाइल क्रमांक F1(80)/QGC/DDA/2019-20/754

दिनांक: 04.02.2026

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 07/QGC/DDA/NIQ/2025-26

ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित हैं कुतुब गोल्फ कोर्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल विंग) के अध्यक्ष की ओर से। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग -I' जिसमें तकनीकी बोली और 'भाग - II' जिसमें 'वित्तीय बोली' शामिल होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड न की गई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से खाते में जमा की जाएगी "CAU स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" जिसका खाता संख्या 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (IFSC. KKBK0000184)" के साथ है।

वर्तमान में:- कुतुब गोल्फ कोर्स का रखरखाव, डीडीए।

एसएच:- क्यूजीसी जिम के सभी उपकरणों में तेल/ग्रीस लगाना और साइकिल और क्रॉस ट्रेनर की छोटी-मोटी मरम्मत करना ।

अनुमानित लागत: 67,673 रुपये/-

बयाना राशि: 5,000 रुपये/-

मात्रा अनुसूची

क्र.सं.	वस्तु का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	सभी जिम उपकरणों की तेल लगाना/ग्रीसिंग करना (18 जिम स्टेशन @1150 रुपये प्रति स्टेशन, 4 ट्रेडमिल @2350 रुपये प्रति स्टेशन) 3 क्रॉस ट्रेनर (प्रत्येक 750 रुपये) 4 साइकिलें (प्रत्येक 750 रुपये)।	01 कार्य	35,350 रुपये/-	35,350 रुपये/-
2.	साइकिल सीट की मरम्मत (लेटने वाली साइकिल, सीट, पहिया और सेवा शुल्क)	01 कार्य	10,000 रुपये/-	10,000 रुपये/-
3.	क्रॉस ट्रेनर मरम्मत (क्रॉस ट्रेनर टर्बो मरम्मत)	01 कार्य	12,000 रुपये/-	12,000 रुपये/-
कुल				57,350 रुपये/-
18% की दर से जीएसटी जोड़ें				10,323 रुपये/-
कुल योग				67,673 रुपये/-

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट से प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं <https://eprocure.gov.in/eprocure/app या www.dda.org.in> 11.02.2026 (दोपहर 3:00 बजे) तक (बिक्री की अंतिम तिथि) और 12.02.2026 (दोपहर 3:30 बजे) को तकनीकी बोली का उद्घाटन निविदाकर्ता को निर्धारित तिथि तक ई-निविदा प्रणाली में आरटीजीएस/एनईएफटी का विशिष्ट लेनदेन संदर्भ अपलोड करना होगा।

तकनीकी निविदा (प्रथम आवरण)

तकनीकी बोली में निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

- i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के वैध पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति या आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की प्रति।
- ii. पैन नंबर की स्कैन की हुई प्रति।
- iii. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति।
- iv. 100 रुपये के नवीनतम गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर जारी किए गए वचन पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें यह कहा गया हो कि एजेंसी

किसी भी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी संगठन/एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/निविदादाता द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित किया गया हो।

वित्तीय बोली (दूसरा कवर)

- i) मात्रा अनुसूची BOQ के रूप में.....xls.

नोट (1):- बोलीदाता एक कार्य के लिए केवल एक यूटीआर का उपयोग करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उसने विभिन्न निविदाओं के लिए एक ही यूटीआर संख्या का उपयोग किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी और उसे भविष्य में डीडीए में निविदा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

नोट (2):- इच्छुक निविदाकर्ता को डीडीए में निविदा प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक शुल्क पहले ही सीआरबी में जमा कर दिया गया है।

नोट (3):- निविदा खोलने तक निविदाकर्ताओं द्वारा किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी केवल सबसे कम बोली लगाने वाले निविदाकर्ता से ही मांगी जाएगी।

टिप्पणी (4):- नियम और शर्तों, विशेष कार्य के लिए पात्रता मानदंड, आरटीजीएस माध्यम से बयाना राशि जमा करने का तरीका और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट देखें <https://eprocure.gov.in/eprocure/app या www.dda.org.in> ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया

संबंधित ईई या मेसर्स एनआईसी से ईमेल पर संपर्क करें cpnp-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 पर कॉल करें या support-eproc@nic.in पर मेल भेजें

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/शुल्क शामिल होने चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान आर्डर/सचिव/क्यूजीसी, डीडीए की पूर्ण संतुष्टि के बाद ही किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई भी टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
5. यह कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
6. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. खेल आयुक्त बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है या कार्य निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है, तो खेल आयुक्त संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
10. आवश्यकतानुसार वैधानिक कटौतियाँ की जाएंगी।
11. किसी भी नाबालिग को कार्यस्थल पर काम पर नहीं लगाया जाएगा।
12. विभाग द्वारा एजेंसी को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों तक वैध है।
14. प्रतिबंधित एजेंसी/व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं होना चाहिए।
15. प्रतिबंधित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। प्रतिबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली कोई भी एजेंसी भी प्रतिबंधित होने के लिए उत्तरदायी है।
16. स्वामित्व को छोड़कर, एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
17. यदि कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा कार्य संपन्न नहीं होता है, तो सचिव/क्यूजीसी को कार्य को उचित शर्तों पर स्वीकार करने, आपूर्ति/कार्य आदेश रद्द करने, कार्य के लिए किसी भी भुगतान को रोकने,

- अग्रिम राशि जब्त करने या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी मंच के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।
18. कार्य निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि कार्यस्थल/आसपास के क्षेत्र में कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसकी भरपाई निर्धारित दरों के भीतर की जाएगी या एजेंसी से वसूल की जाएगी/एजेंसी के जोखिम और लागत पर की जाएगी।
 19. यदि कोई एजेंसी पहली बार गलत या अपूर्ण निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, यदि एजेंसी बाद की निविदाओं में भी गलती करती है या अपूर्ण निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को यह पता चलता है कि चूक जानबूझकर, लापरवाही से या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है, तो बयाना राशि बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 20. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हों, तो निर्णय लेने के लिए परिसर के सचिव, आरई और परिसर के डीडीओ की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
 21. एजेंसी के साथ जुड़े व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
 22. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों से प्राप्त वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, सेवा में किसी भी कमी को देखते ही, सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना दिए जाने के समय से निर्धारित अवधि के भीतर सुधार/सुधार नहीं किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

-sd-
RE/QGC/DDA

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त (खेल), DDA-जानकारी के लिए कृपया
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए को ई-मेल के माध्यम से संपर्क करें : ddatender@dda.org.in
3. सीनियर एओ (खेल), डीडीए।
4. डीडीए खेल परिसरों के सभी सचिव।
5. डीडीए ठेकेदार संघ, ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
6. डीडीए ठेकेदार कल्याण संघ, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली ठेकेदार कल्याण संघ (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग-II, नई दिल्ली।
8. एएओ / क्यूजीसी।
9. सूचना बोर्ड।

-sd-
RE/QGC/DDA